उन्होंने एक और जिला मंच अधिसूचित किया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च) सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यदल गठित किया था। अपनी रिपोर्ट में कार्यदल ने जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और आवास जैसी नागरिक सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे के भीतर लाने का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जो इस अधिनियम में संशोधन हेतु सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगी ।

चीनी के वितरण में भेद-भाव पूर्ण व्यवहार

2304. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में राशन में दी जाने वाली चीनी की मात्रा गांवों में प्रति व्यक्ति 250 ग्राम है जबकि शहरों में प्रति व्यक्ति मात्रा 1 किलोग्राम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संचालय में राज्य मंत्री (श्री कवालुहीन अहमद): (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी का आबंटन सामान्यतया 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाता है । जहां केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी का थोक में आबंटन करती है, वहां उनको हकदारी की मात्रा, जारी करने की आवधिकता तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के अंदर उनके आबंटन संबंधी निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं ।

Scope of Consumer Protection Act, 1988

2305. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Consumer Protection Act, 1986, applies to the professional services rendered by doctors, lawyers or other professionals;

(b) if so, the details thereof;

(c) if the answer to part (a) above is in negative, the reasons therefor; and

(d) the measures Government propose to take to provide relief to consumers against such Professionals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) The Act applies to all services hired for a consideration and excludes services rendered free of charge or under a contract of personal service. Various State Commissions constituted under the Consumer Protection Act 1986 have given different interpretations on the applicability of the Act to the services provided by the professionals.

(c) and (d) The Government had, earlier, constituted a higher power Working Group to suggest suitable amendments to the Consumer Protection Act, 1986 to make it more effective. In its report, the Working Group has suggested making a specific provision bringing professional services rendered by doctors, lawyers and others within the ambit of the Act. The Report will be discussed in the next meeting of the Central Consumer Protection Council which will make suitable recommendations to the Government for amending the Act.